सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट :– 01/2019

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

श्री राजू सिंह उम्र 21 वर्ष पुत्र श्री मेघ सिंह जाति राजपुरोहित निवासी वार्ड नं0 1 खानपुर रोड कवाई तहसील अटरू जिला बारां **(मौके पर मौजूद विक्रेता व मालिक)** मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार, खानपुर रोड कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज.)

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– स्वयं (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 08.05.2019

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.06.2018 को मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार, खानपुर रोड कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज.) पर पहुंचा। वहॉ पर श्री राजू सिंह पुत्र श्री मेघ सिंह राजपुरोहित (मौके पर मौजूद मालिक एवं विक्रेता) की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 12.06.2018 को कार्या. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारां आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ **मिल्क केक (दूध व चीनी से निर्मित)** विक्रय हेतु रखा हुआ था। मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **मिल्क केक (दूध व चीनी से निर्मित)** में मिलावटी का शक होने पर नमूना लेने हेतु मालिक को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति परिवाद के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **मिल्क केक (दूध व चीनी से निर्मित)** विक्रेता से 02 कि0ग्रा0 एक साफ सुखे तपीले में एक समरूप कर तुलाकर के वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत श्री राजू सिंह पुत्र श्री मेघ सिंह राजपुरोहित को 500/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहन श्री पवन अग्रवाल व श्री राधेश्याम के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ मिल्क केक (दूध व चीनी से निर्मित) 02 कि0ग्रा0 को चार खाली साफ एवं सूखी कांच की शीशीयों में बराबर–बराबर भरकर प्रत्येक शीशी में परीरक्षक फार्मलीन की 40–40 बूदें डालकर प्रत्येक शीशी को ढंक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक शीशी पर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक एएच–827 दर्ज किया प्रत्येक लेबल स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–2 कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. एएच–827 नियमानुसार चारों नमूना शीशीयों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबंद नमुनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमुने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे हस्ताक्षर कर चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री राजू सिंह पुत्र श्री मेघ सिंह राजपुरोहित ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सीलन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ के पत्र क्रमांक–एफएसएसए/2018/139 दिनांक 02.07.2018 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 367/FSSA/Kota/Act/2018/402 दिनांक 25.06.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **मिल्क केक (दूध व चीनी से निर्मित) असुरक्षित (Unsafe)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां मे पत्र क्रमांक एफएसएसए/2018/183 दिनांक 09.10.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिर्पोट से निर्माता संतुष्ट नही होने के कारण निर्माता ने कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील की थी जिस पर नमुने के द्वितीय भाग पत्रांक एफएसएसए/2018/178 दिनांक

03.10.2018 द्वारा रेफरल फुड लेबोरेट्री पूणे में भिजवाया गया था। जिसकी जांच रिर्पोट निदेशक रेफरल लेबोरेट्री पूणे का क्रमांक RFL/DO/282/18/843 दिनांक 21.09.2018 द्वारा संलग्न कर दी गई के अनुसार निर्माता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **मिल्क केक (दूध व चीनी से निर्मित)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(ZX) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दिनांक 28.01.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत नही कर अन्तिम रूप निस्तारण करवाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य खाद्य पदार्थ **मिल्क केक (दूध व चीनी से निर्मित)** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच मे **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी द्वारा कहा गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ मिल्क केक (दूध व चीनी से निर्मित) का नमूना अप्रार्थी की दुकान से लिया गया है। उक्त मिल्क केक अप्रार्थी द्वारा दूध क्रय कर, निर्मित किया गया है। जिसमे किसी भी प्रकार की मिलावट नही की गई है। अप्रार्थी गरीब व्यक्ति है, जो छोटे कस्बे में दुकान लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। अप्रार्थी की दुकान भी छोटा कस्बा होने के कारण ज्यादा नही चलती है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रस्तुत कार्यवाही निरस्त फरमाने की कृपा करे।

हमने प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी की उभयपक्षीय बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **मिल्क केक (दूध व चीनी से निर्मित)** निदेशक रेफरल लेबोरेट्री पूणे से प्राप्त जांच रिपोर्ट मे **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 51 के तहत, अप्रार्थी की कमजोर आर्थिक स्थित को देखते हुये, अप्रार्थी को 20,000/– रूपये अक्षरे बीस हजार रूपये मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)